अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2022 (GCMS 2022/188)(आईटीआई पोर्टल नं. 212719505368450) मोती चौधरी मार्फत कमलेश रानी पुत्री श्री रामकुमार पूनिया, निवासी 17 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 63783–16754) बनाम उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने उपखण्ड अधिकारी, करणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.05.2022 एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपु से निम्न सूचना चाही थी:

1. सम्पूर्ण चक 17 बीबी व ढाणी की मतदाता सूची वर्ष 1971, 1981, 1991 व 2000
2. एसडीएम सिलिंग केस 837/73 व 838/37 दोनों का फैसला 28.02.1975 को जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर कब जमा किया गया, की विवरण

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक स्था./2022/226 दिनांक 16.08.2022 अपील का जवाब निम्न प्रकार पेश किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान्जी द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पुराना होने के कारण समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। अब रिकॉर्ड

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 224 दिनांक 16.08.2022 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जावे।

सादर!

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा **अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है**, जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किय जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:27 IST
Reason: SelfAttested